रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022024-252254 CG-DL-E-20022024-252254

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2024/फाल्गुन 1, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024/PHALGUNA 1, 1945

No. 7661

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

का.आ. 802(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मार्च, 2024 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध ओडिशा राज्य के नवरंगपुर जिले के सभी क्षेत्रों में, प्रवृत होंगे, अर्थात्:—

- (i) धारा 38 से धारा 43;
- (ii) धारा 45क से धारा 45ज;
- (iii) धारा 46 से धारा 73;
- (iv) धारा 74 और धारा 75;
- (v) धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4);
- (vi) धारा 80; और
- (vii) धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013 / 19 / 2023-एसएस-I] आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

1159 GI/2024 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2024

S.O. 802(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the **1st day of March, 2024,** as the date on which the following provisions of the said Act, shall come into force in all areas of the Nabrangpur district, in the State of Odisha, namely:—

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 73;
- (iv) sections 74 and 75;
- (v) sub-section (2) to (4) of section 76;
- (vi) section 80; and
- (vii) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/19/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser